



Order No:- 122R/2020-21

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक-17.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Sardar Sukhdev Singh Dhindsa** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 832 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	ABIJOT SINGH	GURJIP SINGH, MOB- 9465831047	III	SLIET, LONGOWAL
2	ARSHVIR KAUR	JAGGA SINGH, MOB- 9464340654	V	SLIET, LONGOWAL
3	DEEPINDER SINGH	INADMISSIBLE BECAUSE CLASS IS INVALID		
4	JASHAN KAUR	SUKHWINDER SINGH, MOB- 6280272668	IX	SLIET, LONGOWAL
5	PRABJOT KAUR	INADMISSIBLE BECAUSE CLASS IS INVALID		
6	HARMANDEEP KAUR	PAL SINGH, MOB- 7814261607	IX	SLIET, LONGOWAL
7	BHAWANPREET KAUR	RANBIR SINGH, MOB- 9257320148	V	NO.2, DMW PATIALA
8	GURWANSH SINGH BHATTI	LATE HARVINDER SINGH BHATTI, MOB- 7901829862	II	ZIRAKPUR, SAS NAGAR, MOHALI, PB
9	HARSEERAT KAUR	BALJEET SINGH, MOB- 9256224600	I	SLIET, LONGOWAL
10	HARJOT SINGH	KULWANT SINGH, MOB- 9814573136	VI	UHBAWAL

पिता ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पिया ठाकुर
12/8/20
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Sardar Sukhdev Singh Dhindsa माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, CHANDIGARH संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

